राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– एफ.3(ग)/ एसीपी 94/अलेसे–ाा/ 17952-957 दिनांकः– 31/03/2015

आदेश संख्या 172 /2014–15

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(7) वित्त(नियम/2008/ दिनांक 12.9.2008 एवं आदेश संख्या एफ11(7) वित्त (नियम) पार्ट–I/2008 दिनांक 6.10.2008 एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 14(88)वित्त (नियम) 2008 दिनांक 05 जुलाई, 2013 के अनुसरण में निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–ाा जिन्होने अधिनस्थ लेखा सेवा में 18 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 6 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद का द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी) पे–बेण्ड 2(9300–34800) ग्रेड पे 4800/– में स्वीकृत की जाती हैं :–

क्र.स.	नाम स.ले.अ. ग्रेड–ाा सर्व श्री	मेरिट संख्या	जन्मतिथि	क.लेखाकार पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	द्वितीय एसीपी देय तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
01.	करतार सिंह	167/1994	03.01.1968	19.02.1996	19.02.2014	
02.	भंवर सिंह चारण	225/1994	21.11.1968	02.04.1996	02.04.2014	
03.	नरेश कुमार सोनोटिया	482/1994	11.10.1972	25.07.1996	25.07.2014	

उक्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–ाा को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प014 (88) वित्त/नियम/2008 दिनांक 31.12.2009 में दी गई शर्तो के संबंध में संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र तथा संतान संबंधी घोषणा प्राप्ति के आधार पर आश्वासित कैरियर प्रगति(एसीपी) स्वीकृत की जाती हैं।

उपरोक्त क्रम संख्या 1 और 2 पर उल्लेखित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–ाा के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन नियमानुसार उपलब्ध नहीं होने पर गत 9 वर्षो में से 7 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति के बारे में निर्णय लिया जाकर तद्नुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपर्युक्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–ाा का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.9.2008 के पैरा 19, आदेश दिनांक 06.10.2008 एवं एफ–14(88)एफडी (नियम) 2008–I दिनांक 31.12.09 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावें कि संबंधित कर्मचारी संशोधित वेतनमान 2008 में वेतन प्राप्त कर रहा हैं एवं एसीपी स्वीकृति तिथि को इनके विरूद्व कोई विभागीय जाचं लम्बित नहीं हैं। वेतन निर्धारण से पूर्व सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–ाा ए.सी.पी. स्वीकृत तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) 2008 में पे–ग्रेड 4200/– में वेतन प्राप्त कर रहे हैं। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित लेखाकार की सेवापुस्तिका में की जावें।

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.3(ग)/ एसीपी 94/अलेसे–ाा/ 17952-957 दिनांकः– 31/03/2015

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विभागाध्यक्ष/ कार्यालयध्यक्ष.................................
2. श्री.............................. सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–ाा कार्यालय.............................
3. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक महोदय।
4. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–ा) (गोपनीय शाखा) को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–ाा के भविष्य में वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कोइ प्रतिकूल प्रविष्टि प्राप्त होती है, तो उनके प्रकरण को पुनः खोले जाने के प्रस्ताव इस शाखा को प्रेषित करें।
5. उपनिदेशक(एसीपी) /निजी/गार्ड फाईल ।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक– II)